आई. आर. टी. एस. ए. की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ (1965-2016)

भारतीय रेल सामान्य जागरुकता और औद्यौगिक सामन्जस्य

(1) आई. आर. टी. एस. ए. ने नवम्बर 1965 में स्थापना के बाद से भारतीय रेल में पहली बार रेलवे इन्जनियरो / तकनिकी पर्यवेक्षको को संगठित करने के लिये एक मजबूत एवं प्रभावशाली प्लेटफार्म दिया।

(2) रेलवे इन्जीनियरो/तकनीकी पर्यवेक्षको की समस्यायो एवं मांगो को, रेलवे प्रशासन,वेतन समितियो, रेलवे पुनर्गठन समिति, रेलवे दुर्घटना जाँच समिति एवं अन्य फोरम के समक्ष प्रभावशाली ढंग से रखा।

(3) समस्याओ एवं मांगो को वास्तविक एवं प्रभावशाली बनाने हेतु एक विशाल डाटा बेस विकसित किया।

(4) रेलवे इन्जीनीयरो/ तकनीकी पर्यवेक्षको को जागरुक करने हेतु समय –समय पर महत्वपुर्ण विषयो पर सेमिनार, स्मारिका के प्रकाशन, एवं "वायस आफ रेल इन्जीनीयर" (रेल इन्जीनीयर की आवाज) का समयब) प्रकाशन किया। साथ में रेल इन्जीनीयर/ तकनीकी पर्यवेक्षको के साथ वेबसाइट www.irtsa.net एवं IRTSA GROUP (Face Book) द्वारा सतत संवाद बनाये रखता है।

(5) रेलवे इन्जीनीयरो एवं रेलवे प्रशासन के बीच उत्पादन बढाने एवं प्रताड़ना को कम करने हेतु अच्छे औधोगिक संबन्ध बनाता है।

(6) रेलवे इन्जीनीयरो, श्रमिको एवं श्रामिक यूनियनो के बीच अच्छी तालमेंल बनाये रखता है जिसमें रोज-रोज के टकराव रुकते है एवं उत्पादन में विकास होता है।

(7) रेलवे इन्जीनीयरो की समस्याओ के प्रति मान्यता प्राप्त फेडरेशन एवं यूनियनो में जागरुकता विकसित करता है एवं इन समस्याओ के समाधानो हेतु संघर्ष एवं संगठित प्रयासो में इनका लोकल एवं राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करता है।

सुलझाए गए वृहद संवर्गीय मामले

(8) आई. आर. टी. एस. ए. के संपूर्ण दस्तावेजो के आधार पर तीसरे वेतन आयोग में तकनीकी पर्यवेक्षकों का वेतनमान की संख्या 6 से घटकर 4 एवं पुनः छठवे वेतन आयोग में 4 से घट कर 2 वेतनमान हुआ ।

(9) सी.से. इंजीनियर को अधीक्षण भत्ता एवं से. इंजीनियर को उच्च ग्रेड (इन्सेंटिव के बदले) मिलना जो कि कारखानों एवं उत्पादन इकाई के से. इंजीनियर एवं सी.से. इंजीनियर को प्रोत्साहन भत्ता में परिवर्तित हो गया।

(10) वरिष्ठ तकनीकी पर्यवेक्षकों को पूरे ग्रुप सी में उच्चतम वेतनमान, तृतीय वेतन आयोग द्वारा 840-1200 ,840-1040 एवं चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा 2375-3500 वेतन मान आई. आर. टी. एस. ए. के साक्ष्यो के आधार पर 40 वर्षो के बाद प्राप्त हुआ।

(11) जे. ई. को कर्मचारियों को वेतन वितरण के बदले मानदेय मिलना एवं समय समय पर संशोधित होना (आई. आर. टी. एस. ए. के द्वारा वर्ष 1991 में वेतन विवरण का अविष्कार करने के बाद प्राप्त हुआ)।

(12) अपरेनटिस प्रशिक्षुओं को "हर्ट आन ड्यूटी"/ हॉस्पिटल अवकाश प्राप्त होना (संसद में सवाल उठाने के बाद प्राप्त हुआ)।

(13) तकनीकी पर्यवेक्षकों को कामगार क्षतिपूर्ति एक्ट के जिसका नाम बाद में कर्मचारी क्षतिपूर्ति एक्ट हुआ के दायरे में लाना (मामला संसद में उठाने के बाद प्राप्त करना)।

(14) सभी तकनीकी पर्यवेक्षको(जे.ई. से एवं सी.से. इंजीनियर) को 1984 से कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हेतु एक कैडर में लाना (पूर्व में उच्च ग्रेड पद बहुत सीमित एवं कार्य भार में अनुरूप थे)।

(15) स्नातक इंजीनियर की जे.ई. में सीधी भर्ती रोक कर, 1987 से से. इंजीनियर में एवं 2008 से सी. से. इंजीनियर ग्रेड में करवाना।

(16) तकनीकी पर्यवेक्षकों का कैडर रिस्ट्रक्चरिंग 30 वर्षो में 5 बार- 1984 में सी.से. इंजीनियर उच्च ग्रेड के पदों की संख्या में कारखानों एवं उत्पादन इकाइयों में 3% से 6% तथा ओपेन लाइन में 1.5 % से 10% 1993 में 17%, 2003 में 18% से 21%, 2008 में छठे वेतन आयोग के बाद 50% तथा 2013 में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग समिति द्वारा 67% बढ़ोतरी हुई।

(17) ड्राइंग एवं डिजाइन, रसायन एवं धातु परीक्षण एवं स्टोर पर्यवेक्षकों का कैडर रिस्ट्रक्चरिंग द्वारा अपग्रेडिंग होना।

(18) अप्रेन्टिस /प्रशिक्षण अवधि की गणना, 1983 से सेवानिवृत्त लाभ हेतु एवं 1991 से वेतन वृद्धिलाभ के लिए किया जाना। (आई. आर. टी. एस. ए. द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर)।

(19) वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के 2000 पदों का ग्रुप बी में अपग्रेडिंग होना।

(20) मिस्त्री/पर्यवेक्षकों का जूनियर इंजीनियर के पद पर अपग्रेडिंग (वर्ष के संघर्ष के बाद उच्चतम वेतनमान में पदों की संख्या वृद्धि-जे.ई. के प्रोन्नति अवसरों में वृद्धि हुआ)।

(21) वर्ष 1996 में तकनीकी पर्यवेक्षकों के पदनाम जे.ई. (जूनियर इंजीनियर) तथा एस.एस.ई. (सीनियर सेक्शन इंजीनियर) परिवर्तित हुआ IRTSA के "वर्क टू रूल" पर जाने के निर्णय के बाद)।

(22) जे.ई. तथा एस.एस.ई को पी.सी.ओ. को भत्ता मिलना।

(23) प्रोत्साहन लाभांश के दरों में वृद्धि (वर्ष 1968,1975,1990,1998 एवं 2009) में होना।

(24) जे.ई. के प्रशिक्षण अवधि में कमी 3 वर्ष से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 18 महीने तथा अब 12 महीने होना।

(25) अप्रैंटिस/ प्रशिक्षण अवधि में छात्रवृत्ति बढकर रु0 4200 वेतन/ ग्रेड पे के बराबर होना।

(26) अनुदेशक एवं प्रवक्ता को विशेष वेतन भत्ता मिलना एवं उसका 3 बार रिवीजन होना।

(27) कैट नई दिल्ली में केस जीतना (ओ. ए. संख्या 835-1999 आई. आर. टी.एस. ए. संग यू.ओ.आई.) वरिष्ठ तकनीकी परीक्षकों को ग्रुप "बी" दर्जा प्रदान करने के लिए रेलवे बोर्ड के लगातार नकारने के बाद इस मुद्दे को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई

लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा इस एलपी सुनाई के लिए मंजूर नहीं किया गया। आई. आर. टी.एस. ए. ने लगातार संघर्ष करके एवं अभियान चलाकर संघों को इस मांग की प्रासंगिकता को बताया- फलस्वरुप वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के 15%पदों को ग्रुप बी में अपग्रेड करने की सहमति बनी जिसके लिए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन मांगा गया। आई. आर. टी.एस. ए. लगातार ग्रेड पे 4600 100% पदों को ग्रुप बी में अपग्रेड करने हेतु संघर्ष कर रही है।

(28) कैट नई दिल्ली में कोर्ट केस जीता (वाद संख्या 1527/1990 आई. आर. टी.एस. ए. संग यू.ओ.आई.)- अदालत ने "समकक्ष,किसी समकक्ष से अधिक वेतन नहीं पा सकता" के सिद्धांत पर जे.ई. को उच्च वेतनमान देने का निर्देश दिया जिसे पाँचवें वेतन आयोग ने स्वीकार किया और अपनी रिपोर्ट के पैरा नंबर 54.36 में शामिल किया।

(29) कैट चेन्नई ने वाद संख्या 706/2013 में जे.ई. का वेतनमान रुपए 4200 से रुपए 4600 एवं सी.से.इंजी.का वेतनमान 4600 से 4800 करने के लिए वित्त मंत्रालय को विचार करने का आदेश दिया।

(30) उत्पादकता बोनस के लिए अर्ह सीमा बढ़ाकर सभी तकनीकी पर्यवेक्षकों को इस दायरे (वेतन सीमा से परे) में लाया।

(31) सी.से. इंजीनियर का वेतनमान रुपए 7000-11500 (पाँचवे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत) को वृद्धि करके रुपए 7450- 11500 करवाया (आई. आर. टी.एस. ए. द्वारा तेज संघर्ष एवं ठोस आंकड़ों के आधार पर)।

(32) ड्रॉइंग डिजाइन एवं स्टोर इंजीनियरों को 2000- 3200 वेतनमान के स्थान पर 2375- 3500 दिलाया।

(33) ड्राइग एवं डिजाइन पर्यवेक्षको का पदनाम बदलकर जे.ई. एवं सी.से इंजीनियर करवाया।

(34) स्टोर इंजीनियर का पदनाम डी.ए.स.के. से बदलकर डी.एम.एस. एवं सी.डी.एम. एस. करवाया।

(35) वर्ष 1999 में कारखानों एवं उत्पादन इकाइयों में कार्य करने वाले सी.से. इंजीनियर को प्रोत्साहन लाभांश मिलना।

(36) स्नातक इंजीनियरों एवं डिप्लोमा धारक इंजीनियरों के लिए सीधी भर्ती कोटा में चयनित होने के लिए जीडीसीई/ एल डी सी ई पद्धति का प्रारंभ होना।

(37) जेई-। तथा जेई-॥ के पदों का विलय होना एवं वेतनमान 6500- 10500 में अपग्रेड होना।

(38) से.ई.तथा सी.से.इंन्जी. के पदों का विलय होना एवं वेतनमान 7450- 11500 में अपग्रेड होना।

(39) सभी उज्जैन जे.ई./ डी.एम.एस./सी.एम.ए. को प्रथम श्रेणी का सुविधा पास मिलना।

(40) पी.-वे सुपरवाइजर का जेई के साथ विलय एवं अपग्रेड होना जिसके कारण कैडर का विस्तार हुआ।

(41) जेई से सी.से.इंन्जी., डी.एम.एस से सी.डी.एम.एस, सी.एम.ए. से सी.एम.एस. तथा जे.इ. से सी इंजीनियर/ आई.टी. में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा का समाप्त होना ।

(42) लम्बे समय तक चलने वाले वेतन बैंड अवधारणा की शुरुआत हुई जिससे वेतन ठहराव को समाप्ति हुई।

(43) निश्चित वेतन वृध्दि के बदले 3% वार्षिक वेतन वृध्दि मिलना।

(44) मूल वेतन के आधार पर प्रतिशत आवास किराये भत्ते की शुरुआत होना।

(45) परिवहन भत्ता में वृध्दि बिना किसी दूरी सीमा प्रतिबन्ध के एवं मुद्रा स्फीति से सुरक्षित होना।

(46) छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट सौपे जाने के बाद गठित "उच्चस्तरीय समिति" द्वारा वेतन गुणांक 1.74 से वढाकर 1.86 का संस्तुति की गई।

(47) दो बच्चो हेतु प्रति पाल्य प्रतिमाह रु0 1000 दर पर वगैर मुद्रास्फिति प्रभाव के प्रतिपुर्ति भत्ता का निर्धारण।

(48) सेवानिवृति के समय पर 300 दिन अर्जित अवकाश नगदीकरण के अतिरिक्त पूरे सेवा काल में 60 दिन अर्जित अवकाश नगदीकरण की व्यवस्था।

(49) पाचवे वेतन आयोग द्वारा ए.सी.पी. एवं छठवे वेतन आयोग का बाद एम.ए. सी.पी. मिलना जिससे वेतन ठहराव को समाप्त किया गया। (आई. आर.टी.एस. ए. के दो बड़ी मांगो- वेतन ठहराव को समाप्त करना एवं समय ब) पदोन्नति के आधार पर)

(50) तीन वित्तिय उन्नयन (10,20,30 वर्ष सेवा के बाद) एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत (जिसने जे.ई. के लिए 5400 ग्रेड पे तक पहुचना निश्चित किया)।

(51) जी.डी.सी.ई.के तहत चयनित कर्मचारियो को एम.ए.सी.पी. के लिए सीधी भर्ती की तरह माना जाय।

(52) 1.1.2006 और 29.09.2008 के बीच होने वाले पदीन्नति (जे.ई. ॥ से जे.ई. –। और से.ई. से सी.से. इजी) में वेतन निर्धारण का विस्तार हुआ। (छठवे वेतन आयोग द्वारा फीडर तथा प्रोमोशनल प्रकृति के पदो के विलय करने के कारण)।

(53) 7 वे वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स में होने वाले पदोन्नति के वेतन निर्धारण में, वेतन कम से कम उसी लेवल के सीधी भर्ती के प्रवेश वेतनमान के बराबर होना चाहिये अर्थात जे.ई. का सी.से. इजी. में पे लेवल 7 में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण रु 44900/- से कम नही होना चाहिये जो कि सी.से. इजी. के सीधी भर्ती का प्रवेश वेतनमान है।

Hindi Translation by Er.R.K.Pandey, Zonal Secretary, IRTSA/NE.Rly